

प्रपत्र - 3

**वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले
प्रस्ताव पर वन संरक्षक/व.म.अ. का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन**

1	परियोजना का नाम :	पहुंच मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित है।		
2	आवेदक विभाग का नाम	छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग - जगदलपुर		
3	गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की मांग	पहुंच मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित किया गया है।		
4	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	पहुंच मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित है, जो संरक्षित वनभूमि है।		
5	वनभूमि का विस्तृत विवरण	वनखण्ड का नाम	कक्ष क्रमांक	आवेदित क्षेत्र का क्षेत्रफल
	क : आरक्षित वन	—	—	—
	ख : संरक्षित वन	आमागुड़ा	1809 पी	0.672 हे.
	ग : असीमांकित संरक्षित वन	—	—	—
	घ : राजस्व वन क्षेत्र	—	—	—
		योग :-		0.672 हे.
6.	आवेदित वन क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार	द्वितीय एवं तृतीय स्थल गुण श्रेणी का 0.5 का विरल घनत्व वन है।		
7.	आवेदित वन क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	09 नग		
8.	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति	अपर्याप्त		
9.	आवेदित क्षेत्र की (विशेष कर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्लू.डी. /वनमार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें।)	राष्ट्रीय राजमार्ग 30 से लगा हुआ		
10.	क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बायोस्फेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील/वाटर बाड़ी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं ? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदन करें।	आवेदित क्षेत्र आमागुड़ा संरक्षित वनखण्ड कक्ष क्रमांक 1809 पी रकबा 0.672 हे. वनभूमि का डी.जी.पी.एस. सर्वेक्षण के आधार पर वनप्रबंधन सूचना प्रणाली वनमण्डल रायपुर से प्राप्त वनस्पति मानचित्र अनुसार कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत नहीं आता है।		

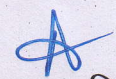
(46)

11.	आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेष कर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वनक्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/भारत सरकार /राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावे एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावे।)	नहीं
12.	आवेदित क्षेत्र आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं ? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण देवे।	नहीं

प्रमाण -पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किए गए भौतिक निरीक्षण के आधार पर है।
आवेदक द्वारा मांग की गई वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण :- चीकावाडा
दिनांक :- 07.10.2017


(राजु अगसिमनि)
(भा.व.से.)
वन मण्डलाधिकारी
वनमण्डल बस्तर, जगदलपुर